सं. 20/2/2016-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

17 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दुगुना परिवहन भत्ता प्रदान किया जाना।

मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दुगुने परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में इस विभाग के 19.02.2014 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2011-ई-II(बी) का अधिक्रमण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मामले की पुन: परीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उन कर्मचारियों जो मूक एवं बधिर दोनों हैं, के अलावा क्षीण श्रवण-शक्ति वाले कर्मचारियों के लिए भी सामान्य दरों से दुगुना परिवहन भत्ता स्वीकार्य है।

2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार बातचीत की फ्रीक्वेंसि रेंज के अंदर बेहतर श्रवण शक्ति वाले कान में 60 डेसीबल या इससे अधिक की क्षति से ग्रस्त क्षीण श्रवण-शक्ति वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य दरों से दुगुना परिवहन भत्ता स्वीकार्य होगा।

3. उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामान्य दरों से दुगुने परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता किसी सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश और व्यय विभाग के 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2008-ई.II(बी) के साथ पठित 31 अगस्त, 1978 के का. ज्ञा. सं. 19029/1/78-ई.IV(बी) में उल्लिखित अन्य निशक्तताओं के संबंध में लागू अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

5. ये आदेश 19.02.2014 से प्रभावी होंगे।

निर्मला देव
17/01/2017

(निर्मला देव)

उप सचिव (ईजी)

टेलीफैक्स: 23093276

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग।